न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री , आर०ए०एस०

अपील संख्या 14 / 2018

1– बीरूराम पुत्र नानूराम जाति जाट , निवासी तंवरा , तहसील लाडनूॅ , जिला नागौर, राजस्थान।

..............अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडनूॅ जिला नागौर राजस्थान

........रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1--श्री विकास ढोलिया, हाकम अली एवं विकम कुड़ी, अधिवक्तागण , अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 मिसल संख्या 85 / 2016 किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 न्यायालय तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज0 पीठासीन अधिकारी आदूराम मेघवाल आर.टी.एक्ट द्वारा राज0 राज्य बनाम बीरूराम में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक– 23.07.2018

अपीलान्ट की ओर से अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

1– यह है कि दिनांक 20.12.2016 को प्रत्यर्थीगण संख्या 02 ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91के तहत कार्यवाही करने बाबत प्रत्यर्थी संख्या 01 के न्यायालय में पेश की जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 01 के न्यायालय में मुकदमा 85 / 16 अनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का तंवरा बनाम बीरूराम किस्म मुकदमा धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत दिनांक 20.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध

मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया ग[illegible] आगामी तारिख पेशी 11.01.2017 को फरमायी गई।

2– यह है कि दिनांक 11.01.2017 को अपीलार्थी को नोटिस नहीं [illegible] की वजह से उपस्थित नही हो सका। दिनांक 30.01.2017 को अपी[illegible] अधिवक्ता श्री छोगाराम बुरड़क ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक [illegible] 2017 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी का जवाब पेश किया। अ[illegible] अपने जवाब में जाहिर किया कि प्रार्थी आबादी क्षैत्र में मकानों का [illegible] कर निवास कर रहे है। इसलिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमी करा[illegible] जाना न्यायोचित नहीं है। आपके द्वारा बताई गई मौजा तंवरा की [illegible] भूमि है। अप्रार्थी के जवाब के संदर्भ में पटवारी हल्का एवं भू [illegible]लेख निरीक्षक के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसके अनुसार अप्रार्थी ने [illegible] नम्बर 165 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जो गैर [illegible]किन गौचर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा पटवारी हल्का तंव[illegible] व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व बयानात का भलीभांति अ[illegible]न व अवलोकन किया गया। जिससे अप्रार्थी का सरकारी भूमि पर अ[illegible]मण किया जाना बेखूबी साबित होता है। मौजा तंवरा जागीर खसरा 16[illegible] रकबा 0.10 बीधा किस्म गैर मुमकिन गौचर पर अतिक्रमण किया है। अप्रा[illegible] द्वारा किया गया अतिक्रमण राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा [illegible] के प्रावधानों का उललघंन है जो अतिक्रमण की क्षेणी में आता है। अतः [illegible]प्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर उक्त खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10 बीघ[illegible] किस्म गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। [illegible]प्रार्थी पर वार्षिक लगान दर 0.55 के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 14/– अक्षरे चौदह रूपये कायम किया जाता है। अप्रार्थी से जुर्माना वसूली हेतु [illegible]टवारी [illegible] भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू अभिलेख निरीक्षक एवं मांग [illegible]ायमी [illegible] को तहरीर जारी हो।

[illegible] द्वारा पारित निर्णय दिनांक [illegible].03. 2017 [illegible] द्वारा यह अपील निम्न आध[illegible] पर [illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

–: अपील के आधार :–

(1) यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश एवं [illegible]आदेश दिनांक 15.03.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय से सिद्धा[illegible] की अवहेलना की है। अपीलार्थी को गवाह पेश करने व मौखिक रूप [illegible] सुनने का कोई अवसर नही दिया गया इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्[illegible]ालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 [illegible]धीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह है कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मा[illegible] को कन्टेस्ट करने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति भी की गयी थी एवम अ[illegible]ार्थी

द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया [illegible]ा था उसके बावजूद दिनांक 08.03.2017को व निर्णय के दिन [illegible]नांक 15–03–2017 को अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति [illegible] की गई जिससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपील[illegible] को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया। आदेशिक दिनांक 15.03.2[illegible]8 से भी प्रमाणित है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये विद्वान [illegible]नस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपास्त कि[illegible] जाने योग्य है।

3– यह है कि पटवार हल्का द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच के दबाव में आक[illegible] उक्त कार्यवाही पेश की जबकि उक्त तीनों खसरान् में करीब 166 [illegible]रिवार अपने–अपने मकान बनाकर निवास करते आ रहे है। इस प्रक[illegible]र 35 परिवारों के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल करने की [illegible]क्षपात पूर्ण कार्यवाही की है तथा शिकायत कर्ता राजनितिक प्रतिस्पर्दा [illegible] तहत कार्यवाही कर अपनी राजनितिक रंजिश निकालने का प्रयास कर [illegible]ा है। इस कारण 166 परिवारों में से मात्र 35 परिवारों के विरूद्ध झुठी [illegible]कायत कर कार्यवाही की है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यह है कि अपीलार्थी का मकान आबादी भूमि ग्राम तंवरा में बना[illegible] है जिसमें अपीलार्थी के द्वारा घरेलू लाईट व पानी कनेक्शन ले रखे [illegible] तथा सदीन काल से मकान बने हुये है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी [illegible]बादी [illegible] में मकान कर निर्माण कर निवास कर रहे है। जो [illegible] भी [illegible] उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्याया[illegible]य ने [illegible] अधीन अपील अपास्त किये जा[illegible] योग्य है

5– [illegible] संख्या 02 की केवल मात्र रि[illegible] एवं [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आ[illegible] एवं [illegible] दिनांक 15.03.20[illegible] को पारित फरमाया। इसमें विद्वान अ[illegible]नस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का सही वि[illegible]लेषण नही किया है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित [illegible]लौच्य आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

6– यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10 बीघ[illegible] किस्म गैर मुमकिन गौचर पर अतिक्रमी मानकर योग्य अधिनस्थ न्याया[illegible]य ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की [illegible] अतः

योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील अपास्त किये ज
है।

7– यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 गुणावगुण के आधार पर पारि गया आदेश नही है। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वार आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाय

8– यह है कि अपीलार्थी की अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तह लाडनू जिला नागौर के विरूद्ध है। इस कारण उक्त अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।

9– यह है कि अपीलार्थी को नोटिस मिला तथा अपीलार्थी ने उक्त आदेश का जवाब अपने अधिवक्ता के मार्फत दिया गया था फिर माननीय अ नस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित रहने के वजूद उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। उक्त आलौच्य आदेश की नकल अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2018 को प्राप्त की इसलिए अपील अन्द याद है।

10– यह है कि अन्य उजरात बर उक्त अर्ज किये जायेगें।

अतः अपीलार्थी की अपील पेश कर माननीय न्यायालय से विनम्र पूर्वक प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03. 2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं विकल्प में अपीलार्थी की भी प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03. 2017 को अपास्त फरमाया जाकर इस निर्देश के साथ पत्रावली को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय [illegible] को उक्त प्रकरण में सुनवाई का, ज. व. व साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर देकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

यह अपील अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास लिया द्वारा पेश की गयी। जो दिनांक 07.3.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड व नोटिस तामिल होकर दिनांक 19.4.2018 को प्राप्त हुवे जो शामिल मिसल किये गये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दिनांक 11.5.18 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया ।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रा[illegible]ी पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया गया। प्रस्तुत प्र[illegible]ण में अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा ग्राम मौजा तंवरा जागीर के ख0नं0 165 रक[illegible] 0.10 बीघा गैर मु0 गोचर पर झूंपा व टीन के मकान बनाकर अतिक्रमण [illegible]ने पर अपीलार्थी को अतिकमी घोषित कर भोतिक रूप से बेदखल किया [illegible] तथा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत 14/– रूपये [illegible]र्थदण्ड आरोपीत किया गया ।

गौचर की जमीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है जिसमें [illegible]रा 16 आर.टी.एक्ट के तहत उक्त पर किसी प्रकार के खातेदारी अधीक[illegible] प्राप्त नही होते हैं। न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आवादी के पटटा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी ने स्वयं अपने लिखित जवाब में [illegible]या है कि वह आबादी क्षेत्र में राजकीय भूमि पर मकान का निर्माण कर नि[illegible]स कर रहा है। पटवारी हल्का तंवरा व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपो[illegible] में भी [illegible] को गै0मु0गोचर भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है बिना [illegible] बनाकर निवार करना [illegible] यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अप्रार्थी को [illegible] क्योंके आधिनस्थ न्यायालय की आ[illegible]शिका दिनांक 22.2.17 में अप्रार्थी [illegible] स्वम उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत [illegible] जो शामिल मिसल है। अतः आधेनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.[illegible]7 को किया गया निर्णय विधी सम्मत है।

:::: आ दे श ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जा[illegible]र अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2017 बहाल [illegible] जाता है।

(बलवन्त सिंह [illegible])
अतिरिक्त जिला क[illegible]टर
डीडवाना जिला [illegible]गौर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्याया[illegible] की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह [illegible])
अतिरिक्त जिला क[illegible]टर
डीडवाना (ना[illegible])